

# NEERAJ®

## अंकेक्षण के मूल तत्त्व ( Elements of Auditing )

By:  
*Jagnandan*

*Reference Book*  
*Including*  
*Solved Question Papers*

*New Edition*



### NEERAJ PUBLICATIONS

( Publishers of Educational Books )

( An ISO 9001 : 2008 Certified Company )

1507, 1st Floor, NAI SARAK, DELHI - 110006

Ph.: 011-23260329, 45704411, 23244362, 23285501

E-mail: [info@neerajignoubooks.com](mailto:info@neerajignoubooks.com)

Website: [www.neerajignoubooks.com](http://www.neerajignoubooks.com)

*Price*  
₹ 200/-

**Published by:**

**NEERAJ PUBLICATIONS**

Admn. Office : **Delhi-110 007**

Sales Office : **1507, 1st Floor, Nai Sarak, Delhi-110 006**

E-mail: [info@neerajignoubooks.com](mailto:info@neerajignoubooks.com) Website: [www.neerajignoubooks.com](http://www.neerajignoubooks.com)

**Reprint Edition**

Typesetting by: **Competent Computers**

Printed at: **Novelty Printer**

**Notes:**

1. For the best & upto-date study & results, please prefer the recommended textbooks/study material only.
2. This book is just a Guide Book/Reference Book published by NEERAJ PUBLICATIONS based on the suggested syllabus by a particular Board /University.
3. The information and data etc. given in this Book are from the best of the data arranged by the Author, but for the complete and upto-date information and data etc. see the Govt. of India Publications/textbooks recommended by the Board/University.
4. Publisher is not responsible for any omission or error though every care has been taken while preparing, printing, composing and proof reading of the Book. As all the Composing, Printing, Publishing and Proof Reading etc. are done by Human only and chances of Human Error could not be denied. If any reader is not satisfied, then he is requested not to buy this book.
5. In case of any dispute whatsoever the maximum anybody can claim against NEERAJ PUBLICATIONS is just for the price of the Book.
6. If anyone finds any mistake or error in this Book, he is requested to inform the Publisher, so that the same could be rectified and he would be provided the rectified Book free of cost.
7. The number of questions in NEERAJ study materials are indicative of general scope and design of the question paper.
8. Question Paper and their answers given in this Book provide you just the approximate pattern of the actual paper and is prepared based on the memory only. However, the actual Question Paper might somewhat vary in its contents, distribution of marks and their level of difficulty.
9. Any type of ONLINE Sale/Resale of "NEERAJ BOOKS/NEERAJ IGNOU BOOKS" published by "NEERAJ PUBLICATIONS" on Websites, Web Portals, Online Shopping Sites, like Amazon, Flipkart, Ebay, Snapdeal, etc. is strictly not permitted without prior written permission from NEERAJ PUBLICATIONS. Any such online sale activity by an Individual, Company, Dealer, Bookseller, Book Trader or Distributor will be termed as ILLEGAL SALE of NEERAJ IGNOU BOOKS/NEERAJ BOOKS and will invite legal action against the offenders.
10. Subject to Delhi Jurisdiction only.

**© Reserved with the Publishers only.**

**Spl. Note:** This book or part thereof cannot be translated or reproduced in any form (except for review or criticism) without the written permission of the publishers.

## **How to get Books by Post (V.P.P.)?**

If you want to Buy NEERAJ IGNOU BOOKS by Post (V.P.P.), then please order your complete requirement at our Website [www.neerajignoubooks.com](http://www.neerajignoubooks.com). You may also avail the 'Special Discount Offers' prevailing at that Particular Time (Time of Your Order).

To have a look at the Details of the Course, Name of the Books, Printed Price & the Cover Pages (Titles) of our NEERAJ IGNOU BOOKS You may Visit/Surf our website [www.neerajignoubooks.com](http://www.neerajignoubooks.com).

No Need To Pay In Advance, the Books Shall be Sent to you Through V.P.P. Post Parcel. All The Payment including the Price of the Books & the Postal Charges etc. are to be Paid to the Postman or to your Post Office at the time when You take the Delivery of the Books & they shall Pass the Value of the Goods to us by Charging some extra M.O. Charges.

We usually dispatch the books nearly within 4-5 days after we receive your order and it takes Nearly 5 days in the postal service to reach your Destination (In total it take atleast 10 days).



**NEERAJ PUBLICATIONS**

(Publishers of Educational Books)

( An ISO 9001 : 2008 Certified Company )

**1507, 1st Floor, NAI SARAK, DELHI - 110 006**

**Ph. 011-23260329, 45704411, 23244362, 23285501**

E-mail: [info@neerajignoubooks.com](mailto:info@neerajignoubooks.com) Website: [www.neerajignoubooks.com](http://www.neerajignoubooks.com)

## CONTENTS

# अंकेक्षण के मूल तत्त्व (ELEMENTS OF AUDITING)

<i>Question Paper—June, 2018 (Solved)</i>	1-2
<i>Question Paper—June, 2017 (Solved)</i>	1
<i>Question Paper—June, 2016 (Solved)</i>	1-2
<i>Question Paper—June, 2015 (Solved)</i>	1
<i>Question Paper—June, 2014 (Solved)</i>	1
<i>Question Paper—June, 2013 (Solved)</i>	1
<i>Question Paper—December, 2012 (Solved)</i>	1
<i>Question Paper—December, 2011 (Solved)</i>	1

<i>S.No.</i>	<i>Chapter</i>	<i>Page</i>
--------------	----------------	-------------

### अंकेक्षण के मूल सिद्धांत ( Fundamentals of Auditing )

1. आधारभूत संकल्पनाएँ ( Basic Concepts )	1
2. आंतरिक नियंत्रण ( Internal Control )	14
3. अंकेक्षण नियोजन ( Audit Planning )	28

### प्रमाणन तथा सत्यापन ( Vouching and Verification )

4. नकद लेन-देन का प्रमाणन ( Vouching of Cash Transactions )	41
5. व्यापारिक लेन-देन तथा अव्यक्तिगत लेजर का प्रमाणन ( Vouching of Trading Transactions and Impersonal Ledger )	51
6. परिसंपत्तियों तथा देयताओं का सत्यापन एवं मूल्यांकन-I ( Verification and Valuation of Assets and Liabilities-I )	62
7. परिसम्पत्तियों तथा देयताओं का सत्यापन एवं मूल्यांकन-II ( Verification and Valuation of Assets and Liabilities-II )	74

<i>S.No.</i>	<i>Chapter</i>	<i>Page</i>
<b>कंपनी अंकेक्षण (Company Audit)</b>		
8.	कंपनी अंकेक्षक ( Company Auditor )	85
9.	कंपनी अंकेक्षण - I ( Company Audit - I )	95
10.	कंपनी अंकेक्षण-II (Company Audit - II)	109
<b>अंकेक्षक की रिपोर्ट तथा लागत अंकेक्षण (Auditor's Report and Cost Audit)</b>		
11.	अंकेक्षक की रिपोर्ट (Auditor's Report)	123
12.	लागत और प्रबंध अंकेक्षण ( Cost and Management Audit )	133
		□ □

**Sample Preview  
of the  
Solved  
Sample Question  
Papers**

*Published by:*



**NEERAJ  
PUBLICATIONS**

[www.neerajbooks.com](http://www.neerajbooks.com)

# QUESTION PAPER

(June – 2018)

(Solved)

## अंकेक्षण के मूल तत्त्व

समय : 2 घण्टे ]

[ अधिकतम अंक : 50

[ कुल का 70%

नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

प्रश्न 1. निम्नलिखित में अंतर बताइए—

(a) बाह्य तथा आंतरिक अंकेक्षण

उत्तर—संदर्भ—देखें अध्याय-1, पृष्ठ 9, प्रश्न 6

(b) अंतिम तथा आवधिक अंकेक्षण

उत्तर—संदर्भ—देखें अध्याय-1, पृष्ठ 6, 'आवधिक अथवा अंतिम अंकेक्षण'

प्रश्न 2. नैतिक जांच तथा परीक्षण जांच में भेद कीजिए। परीक्षण जांच करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?

उत्तर—संदर्भ—देखें अध्याय-3, पृष्ठ 34, 'नैतिक नियमित जांच', 'परीक्षण जांच', पृष्ठ 35, 'परीक्षण जांच में सावधानियां'

प्रश्न 3. प्रमाणन (Vouching) से आपका क्या तात्पर्य है? निम्नलिखित का प्रमाणन करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए?

(a) निवेशों की विक्रय

(b) प्राप्त हुई कमीशन

उत्तर—संदर्भ—देखें अध्याय-4, पृष्ठ 48, प्रश्न 1, पृष्ठ-44, 'निवेशों का विक्रय', पृष्ठ-45, 'प्राप्त कमीशन'

प्रश्न 4. परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के संबंध में अंकेक्षक की स्थिति का उल्लेख कीजिए।

उत्तर—संदर्भ—देखें अध्याय-6, पृष्ठ 68, प्रश्न 2, पृष्ठ-73, प्रश्न 6

प्रश्न 5. 'अंकेक्षक की रिपोर्ट' तथा 'जांच-पड़ताल' के संबंध में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अंकेक्षक के कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर—कंपनी की लेखा-पुस्तकों तैयार करना निर्देशकों का कर्तव्य है, किन्तु उन लेखा-पुस्तकों का अंकेक्षण करके रिपोर्ट देना अंकेक्षक का कर्तव्य है। अंकेक्षक को लेखा-पुस्तकों की सुपुर्दगी से पहले निदेशक मंडल द्वारा उन्हें स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए। कंपनी अधिनियम के तहत अंकेक्षक के निम्नलिखित कर्तव्य बताए गए हैं—

(1) रिपोर्ट संबंधी कर्तव्य—अंकेक्षक को अपने द्वारा जांच-परीक्षण किए गए लेखों लाभ-हानि खाता तथा बैलेंस शीट तथा इनसे संबद्ध प्रपत्रों तथा विवरण संबंधी एक रिपोर्ट अंशधारियों को देनी पड़ती है, जिसमें उसे यह स्पष्ट करना पड़ता है कि उसका परामर्श व संपूर्ण अभियान में तथा उसे प्राप्त स्पष्टीकरण के अनुसार स्थिति का सही एवं वास्तविक चित्र प्रस्तुत करते हैं। साधारणतः अंकेक्षक को अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित तथ्यों का विवरण देना पड़ता है—

(i) उसे वे सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण प्राप्त हुए हैं या नहीं, जो उसकी समझ व विश्वास के अनुसार अंकेक्षक कार्य की दृष्टि से आवश्यक थे।

(ii) उसके विचारानुसार कंपनी द्वारा रखी गई लेखा पुस्तकें कंपनी अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुसार हैं या नहीं और शाखाओं से तत्संबंधित आवश्यक विवरण प्राप्त हुए हैं या नहीं।

(iii) कम्पनी के लाभ-हानि खाता तथा बैलेंस शीट कंपनी अधिनियम के तहत बनाए गए हैं नहीं।

(iv) उसके विचार में व उसे उपलब्ध कराई गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी के लाभ-हानि खाता तथा बैलेंस शीट क्रमशः कंपनी के सही और उचित लाभ या हानि तथा आर्थिक स्थिति को प्रकट करते हैं अथवा नहीं।

(2) जांच-पड़ताल संबंधी कर्तव्य—धारा 227 (1 अ) के अनुसार अंकेक्षक को छानबीन करके निम्नलिखित के संबंध में अपनी रिपोर्ट कंपनी को देनी होती है—

(i) क्या कंपनी की पुस्तकों में अंकित लेन-देन (transactions) स्वयं कंपनी अथवा उसके सदस्यों के हितों के विरुद्ध तो नहीं है?

- (ii) क्या कंपनी द्वारा जमानत पर दिए गए 'ऋण एवं अग्रिम' (Loans and Advances) उचित रूप से सुरक्षित हैं तथा ऋण की शर्तें कंपनी तथा उसके सदस्यों के हित में हैं?
- (iii) यदि कंपनी एक बैंकिंग कंपनी अथवा निवेश कंपनी (Investment Company) नहीं है तो क्या उसकी संपत्ति में सम्मिलित अंशों, ऋण-पत्रों अथवा इसी प्रकार की अन्य प्रतिभूतियों को उनके क्रय मूल्य से कम पर बेचा गया है?
- (iv) क्या कंपनी द्वारा जारी किए गए ऋण या अग्रिम को निक्षेपों (deposits) के रूप में दिखाया गया है?
- (v) क्या व्यक्तिगत व्यय को आयगत खातों में दिखाया गया है?
- (vi) क्या रोकड़ (Cash) के बदले निर्गमित अंशों पर नकद रुपया वास्वत में प्राप्त हो गया है और यदि नहीं, तो क्या बैलेंस शीट में दिखाई गई स्थिति सही एवं नियमित है और भ्रामक नहीं है?

प्रश्न 6. कंपनी में 'अंकेक्षक की स्थिति' पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-8, पृष्ठ 92, प्रश्न 4

प्रश्न 7. सापेक्ष अंकेक्षक रिपोर्ट से आपका क्या तात्पर्य है? कम-से-कम तीन शर्तें शामिल करते हुए एक सापेक्ष अंकेक्षण रिपोर्ट तैयार कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-11, पृष्ठ 129, प्रश्न 5

इसे भी जोड़ें-एक लेखा परीक्षक कंपनी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर योग्य राय लिखने के दो मुख्य कारण हैं-

(1) जी.ए.पी. से विचलन-लेखापरीक्षित कंपनी ने वित्तीय रिपोर्ट में एक या एक से अधिक वस्तुओं पर जी.ए.पी. लेखांकन सिद्धांतों का सही पालन नहीं किया।

(2) दायरे की सीमा-ऑडिटर को सभी वित्तीय विवरण जानकारी उपलब्ध नहीं थी। हालांकि, लेखापरीक्षित वित्तीय जानकारी GAAP के अनुरूप है।

उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि कंपनी XYZ सार्वजनिक रूप से कारोबार वाली कंपनी है। साल के अंत में, कंपनी XYZ लेखा परीक्षक ABC को पिछले वित्तीय वर्ष के लिए अपने वित्तीय वक्तव्य, प्रथाओं और नियंत्रणों को लेखा परीक्षा करने के लिए काम पर रखता है।

लेखा परीक्षक ABC ने पता लगाया कि कंपनी XYZ ने सूची के लिए सही तरीके से जिम्मेदार नहीं ठहराया है, अपने नकद खातों के बारे में अधूरे रिकॉर्ड रखे हैं और मूल्यहास के संबंध में समीक्षा के लिए पर्याप्त रिकॉर्ड प्रदान नहीं किए हैं। नतीजतन, लेखा परीक्षक कंपनी XYZ के लिए योग्यता (सीमा अधिसूचना) और GAAP से विचलन (सूची के लिए लेखांकन में त्रुटियों) की वजह से एक योग्य राय दे सकता है।

प्रश्न 8. (a) अंकेक्षक की रिपोर्ट तथा अंकेक्षक के प्रमाणपत्र में अंतर बताइए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-11, पृष्ठ 130, प्रश्न 7

(b) अंकेक्षक की रिपोर्ट में 'सही और उचित' की संकल्पना से आप क्या समझते हैं?

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-11, पृष्ठ 128, प्रश्न 2

प्रश्न 9. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए-

(a) शोधन कोष (Sinking Fund)

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-10, पृष्ठ 122, 'शोधन कोष'

(b) स्टॉक (stock-in-trade) का सत्यापन

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-7, पृष्ठ 76, 'व्यवसाय में स्टॉक का सत्यापन एवं मूल्यांकन'

(c) कंपनी अंकेक्षक के अधिकार

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-8, पृष्ठ 87, 'कंपनी अंकेक्षक के अधिकार तथा कर्तव्य (अधिकार)'

(d) माओकारो (MAOCARO)

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-11, पृष्ठ 131, प्रश्न 11



# Sample Preview of The Chapter

*Published by:*



**NEERAJ  
PUBLICATIONS**

[www.neerajbooks.com](http://www.neerajbooks.com)



# अंकेक्षण के मूल तत्त्व ( Elements of Auditing )

अंकेक्षण के मूल सिद्धांत  
( Fundamentals of Auditing )

## आधारभूत संकल्पनाएँ ( Basic Concepts )



### परिचय

अंकेक्षण जिसे अंग्रेजी भाषा में Auditing कहते हैं, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द Audire से हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ है—सुनना। औद्योगिक क्रांति के आरंभ होने तथा बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना के साथ ही खातों की जांच-परख करने के कार्य का महत्त्व भी बढ़ गया है। इसका वर्तमान स्वरूप किसी व्यवसाय की लेखा पुस्तकों की आलोचनात्मक जांच के रूप में उभरा है। किसी योग्य व निष्पक्ष व्यक्ति के द्वारा प्राप्त सूचनाओं, प्रमाणक, प्रपत्रों (Vouchers) आदि की सहायता से लेखा पुस्तकों की जांच इस उद्देश्य के लिए की जाती है ताकि यह ज्ञात किया जा सके कि व्यापार का लाभ-हानि खाता (P&LA/C), बैलेंस शीट आदि नियमानुसार बनाए गए हैं या नहीं तथा यह वित्तीय विवरण का एक निश्चित तिथि पर संस्था की आर्थिक दशा का सही चित्र प्रस्तुत करते हैं अथवा नहीं।

### अध्याय का विहंगावलोकन

#### अंकेक्षण की संकल्पना (Concept of Auditing)

अंकेक्षण प्राचीन काल में केवल प्रशासनिक या सार्वजनिक खाता तथा तथाकथित धनाह्य जागीरदारों की सम्पदा सम्बन्धी खातों तक ही सिमटकर रह गया था। प्रशासनिक प्राप्तियों व व्ययों का वैज्ञानिक तथा उचित प्रकार से उपयोग हो सके, इसके लिए रोध तथा प्रतिरोध (Checks and Counter Check System) को अपनाया गया। लैटिन भाषा के शब्द Audire शब्द का अर्थ है सुनना (to hear)। इस शब्द को अंग्रेजी भाषा में Auditing कहकर सम्बोधित किया गया तथा हिन्दी भाषा में इसे अंकेक्षण कहते हैं।

भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1913 के द्वारा सार्वजनिक कम्पनियों के लेखे-जोखे का अंकेक्षण अनिवार्य कर दिया गया, क्योंकि इंग्लैण्ड में 1900 से ही अंकेक्षण अनिवार्य कर दिया गया था, परन्तु अंकेक्षकों (Auditors) के प्रशिक्षण तथा शिक्षा सम्बन्धी कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई थी। इसके लिए प्रांतीय सरकारों को यह अधिकार दिया गया कि वे ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें लेखा शास्त्र (Book-keeping) का थोड़ा-सा भी ज्ञान हो, प्रमाण पत्र जारी कर दें। इसके साथ ही प्रशासन को यह भी अधिकार था कि वे इंग्लैण्ड की लेखा संस्थाओं को बिना किसी सरकारी प्रमाण पत्र के मान्यता प्रदान कर दें।

लेखा विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा पर अप्रैल, 1949 में चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम पास हुआ, जो 1 जुलाई, 1949 से लागू कर दिया गया और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान की स्थापना कर दी गई, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया कि ऐसा कोई भी व्यक्ति प्रशिक्षित अंकेक्षक नहीं माना जाएगा। जिसने चार्टर्ड एकाउंटेंटस अधिनियम, 1949 के तहत प्रशिक्षण प्राप्त न किया हो।

#### अंकेक्षण की परिभाषा

#### (Definition of Auditing)

अंकेक्षण शब्द को लैटिन शब्द Audire के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसका अर्थ है 'सुनना'। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री स्पाइसर व पैग्लर के अनुसार, "अंकेक्षण लेखा पुस्तकों, प्रमाणकों (Vouchers) तथा व्यावसायिक हिसाब-किताब आदि की जांच व परीक्षा करना है, जिसके अनुसार अंकेक्षक व्यवसाय Balance Sheet तैयार करता है, जिससे कि व्यापार में लाभ-हानि खाता (P&LA/c) के माध्यम से व्यवसाय की वास्तविक स्थिति का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत किया जा सकता है, जिससे व्यवसायी को अपने व्यावसायिक प्रबंध व नियोजन में पर्याप्त सहायता प्राप्त होती है।

2 / NEERAJ : अंकेक्षण के मूल तत्त्व

अंकेक्षण के द्वारा व्यावसायिक नियोजन, नियंत्रण तथा निरीक्षण में सहायता मिलती है।

मॉण्ट गोमरी के अनुसार, “अंकेक्षण किसी संस्था की लेखा पुस्तकों तथा सौदों के लेखों की व्यवस्थित जांच होती है, जिससे एक अंकेक्षक व्यापार के आर्थिक व्यवहारों का सत्यापन कर सके तथा उनके परिणामों के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट दे सके।”

अतः अंकेक्षण किसी व्यवसाय की लेखा-पुस्तकों की आलोचनात्मक विशिष्ट जांच है, जो योग्य व निष्पक्ष व्यक्ति के द्वारा प्राप्त सूचनाओं, प्रमाणकों व प्रपत्रों आदि की सहायता से इस उद्देश्य के लिए की जाती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि व्यापार का लाभ-हानि खाता व आर्थिक चिट्ठा (Balance Sheet) नियमानुसार बनाए गए हैं या नहीं तथा यह वित्तीय विवरण एक विशेष संस्था का सही चित्र प्रस्तुत करते हैं या नहीं।

**लेखांकन तथा अंकेक्षण में अंतर**

**(Difference between Accountancy and Auditing)**

लेखांकन तथा अंकेक्षण दो भिन्न अवधारणाएं हैं। इन दोनों में निम्नलिखित अंतर हैं—

अंतर का आधार (Basis of Differences)	लेखावर्ग (Accountancy)	अंकेक्षण (Auditing)
1. कार्य की प्रकृति	लेखांकन के अंतर्गत सारांश तथा विश्लेषण करना होता है अर्थात् इसमें तलपट (Trial Balance), आर्थिक चिट्ठा (Balance Sheet) तथा लाभ-हानि खाता आदि बनाना सम्मिलित हैं।	अंकेक्षण के अन्तर्गत लेखापाल द्वारा बनाए गए अंतिम खातों (Final A/cs) की जांच होती है, जिससे खातों के सम्बन्ध में रिपोर्ट दी जा सके।
2. कार्य की संपन्नता	लेखाकर्म करने के लिए लेखापाल को संस्था में ही नियुक्त किया जाता है। वह सवैतनिक कर्मचारी होता है।	अंकेक्षक सदैव बाहरी व्यक्ति होता है। अंकेक्षण कार्य करने के लिए अंकेक्षक को पारिश्रमिक दिया जाता है।
3. योग्यता	लेखाकर्म करने वाले के लिए अंकेक्षक की योग्यता आवश्यक नहीं है।	अंकेक्षण कार्य करने वाले के लिए लेखा-कर्म का ज्ञान होना अति आवश्यक है।
4. प्रारम्भ	पुस्त-पालन (Book-keeping) की समाप्ति पर लेखाकर्म प्रारंभ होता है।	लेखाकर्म जहां समाप्त होता है, वहां अंकेक्षण आरंभ होता है।
5. रिपोर्ट	लेखाकर्म संपन्न होने के बाद लेखापाल को कोई रिपोर्ट नहीं देनी होती।	अंकेक्षण कार्य पूरा हो जाने पर अंकेक्षक को रिपोर्ट देनी आवश्यक होती है।

**अंकेक्षण तथा अनुसंधान में अन्तर**

**(Difference between Auditing and Investigation)**

अनुसंधान किसी व्यापारिक संस्थान की आर्थिक स्थिति के वास्तविक स्वरूप को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अन्य शब्दों में इसका उद्देश्य प्रायः संस्था को लाभ कमाने की शक्ति ज्ञात करना तथा छल-कपट का पता लगाना है।

अंतर का आधार (Basis of Difference)	अंकेक्षण (Auditing)	अनुसंधान (Investigation)
1. क्षेत्र	अंकेक्षण का क्षेत्र सीमित होता है।	अनुसंधान का क्षेत्र असीमित होता है।
2. आवश्यकता	अंकेक्षण वैधानिक रूप से आवश्यक है।	इसमें कोई अनिवार्यता नहीं होती।
3. कार्य-सीमा	अंकेक्षण में जांच का कार्य प्रपत्रों, प्रमाणकों व संलेखों की सहायता से किया जाता है।	अनुसंधान में इन सबके अतिरिक्त अन्य बातों को भी ध्यान में रखा जाता है।
4. योग्यता	अंकेक्षण को चार्टर्ड एकाउंटेंट होना चाहिए।	अनुसंधानकर्ता योग्य व अनुभवी लेखापाल हो सकता है।
5. उपयोगिता	अंकेक्षण के परिणाम केवल संस्था के स्वामियों के लिए लाभकारी होते हैं।	अनुसंधान कार्य से संस्था के लाभ कमाने की क्षमता का ज्ञान होता है।

## अंकेक्षण के उद्देश्य तथा लाभ

### (Objectives and Advantages of Audit)

अंकेक्षण के उद्देश्यों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है—

**मुख्य उद्देश्य (Main Objectives)**—अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य संस्था में रखे गए खातों की सत्यता तथा नियमानुकूलता की जांच करना है, क्योंकि संस्था के स्वामियों को इनके ऊपर ही संदेह होता है। अंकेक्षण द्वारा इस बात की जांच की जाती है कि एक निश्चित अवधि के भीतर बनाया गया लाभ-हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा उस समय विशेष का स्वाभाविक चित्र प्रस्तुत करता है अथवा नहीं और यह दिए गए निर्देशों के अनुकूल है अथवा नहीं।

**गौण उद्देश्य (Subsidiary Objectives)**—अंकेक्षण के गौण उद्देश्य हैं—

I. त्रुटियों का पता लगाना तथा उन्हें दूर करना।

II. छल-कपट का पता लगाना तथा उन्हें दूर करना।

**I. त्रुटियों का पता लगाना तथा उन्हें दूर करना (Detection and Prevention of Errors)**—ये त्रुटियां कई प्रकार की होती हैं—

(अ) लिपिकीय त्रुटियां (Clerical Errors)—लिपिकीय त्रुटियां तीन प्रकार की होती हैं—

(i) लेखे की अशुद्धियां (Errors of Commission / Posting)—इस प्रकार की अशुद्धियां/ त्रुटियां व्यावसायिक लेन-देन की प्रविष्टियों में भूल के कारण होती हैं। यदि कोई प्रविष्टि सामान्य तौर पर जर्नल (Journal) खाते में करनी है और उसकी खतौनी कर दी जाती है, तो ऐसी अशुद्धि लेखे की अशुद्धि होगी। इस प्रकार की अशुद्धियों के उदाहरण हैं—गलत प्रविष्टि करना, गलत खतौनी करना या किसी प्रविष्टि को गलत खाते में डाल देना, जोड़ में गलती करना, शेष निकालने की त्रुटि या तलपट में अधिशेष का स्थानांतरण करने की अशुद्धि आदि।

(ii) भूल की अशुद्धियां (Errors of Omission)—जब कोई लेन-देन प्रारम्भिक लेखा पुस्तकों में लिखने से पूरी तरह छूट जाता है, तो उसे छूटने की अशुद्धि कहा जाता है। व्यापारी यदि किसी लेखे को प्रारम्भिक लेखा पुस्तकों में लिखना ही भूल जाता है, तो उसकी खतौनी (Posting) होने से रह जाती है। इस प्रकार की अशुद्धि तलपट पर निष्प्रभावी रहती है, क्योंकि इसका लेखा पुस्तकों में कहीं भी नहीं किया जाता। तलपट के दोनों पक्षों का योग करने पर भी यह अशुद्धि यथावत रहती है। माना हमने अनुपम से रु. 500 का माल खरीदकर इसकी लेखा-पुस्तकों में कहीं प्रविष्टि नहीं की है, इससे तलपट के दोनों पक्षों का योग तो मिल जाएगा, किन्तु दोनों 'खातों' में पांच-पांच सौ रुपए की अशुद्धि यथावत रहेगी।

### (ii) क्षतिपूरक अशुद्धियां (Compensating Errors)

—एक खाते की क्षति की अशुद्धि को दूसरे खाते की अशुद्धि के द्वारा ठीक कर दिया जाता है, तो इस प्रकार की अशुद्धि क्षतिपूरक अशुद्धि कहलाती है। तलपट (Trial Balance) पर इस प्रकार की अशुद्धियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। माना कि अभिषेक के खाते में रु. 500 की बजाय रु. 50 डेबिट कर दिए जाते हैं तथा अरुण के खाते में रु. 50 डेबिट करने के स्थान पर रु. 500 डेबिट कर दिए गए। हालांकि इन दोनों के खातों में त्रुटि रह गई है, किन्तु इससे तलपट का मिलान निष्प्रभावी ही रहेगा।

(ब) सिद्धांत की त्रुटियां (Errors of Principle)—इस प्रकार की त्रुटियां लेखा प्रणाली के नियमों का भली प्रकार अनुपालन न करने के कारण होती हैं। पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) को लाभगत व्यय (Revenue Expenditure) मान लिया जाता है। उदाहरणस्वरूप संयंत्र की मरम्मत पर रु. 2500 व्यय किए गए हैं, जिन्हें मरम्मत खाता (Repairs A/c) में न लिखकर भवन खाते में लिख दिया जाता है। इसी प्रकार कारखाने के मालिक ने रु. 500 किराया भुगतान किया है और उसे किराया खाता (Rent A/c) न लिखकर उसके व्यक्तिगत खाते में डेबिट कर दिया गया है।

**छल-छद्म का पता लगाना तथा इससे सुरक्षा (Detection and Prevention of Frauds)**—किसी भी अन्य व्यक्ति को जान-बूझकर छल करने के उद्देश्य से की जाने वाली त्रुटियों को छल-छद्म कहते हैं।

(i) धन का गबन (Misappropriation of Cash)—प्राप्त की गई रोकड़ को लेखा पुस्तकों में दर्ज न करके अथवा प्राप्त की गई रकम से कम दिखाकर उसे छिपा लिया जाता है। विक्रय से प्राप्त राशि का छिपाव करना, ग्राहक के खातों में दी गई छूट, वापसी व अप्राप्त ऋण आदि की वास्तविक प्रविष्टि न करके शेष राशि को छिपा जाना, वास्तविक क्रय न लिखना, पारिश्रमिक को गलत प्रविष्टि तथा शेष रकम का गबन आदि धन के गबन के अन्तर्गत आते हैं।

(ii) माल का दुरुपयोग (Misappropriation of Goods)—वह माल जो छोटा तथा कीमती होता है, उसके गबन होने की अधिक संभावना होती है। उदाहरणतः, माल की चोरी करना अथवा इसका दुरुपयोग करना आदि।

(iii) हिसाब-किताब में गड़बड़ी (Manipulation in Accounts)—संस्था के प्रबंधकों, संचालकों अथवा अन्य उत्तरदायी व्यक्तियों के द्वारा लेखाकरण में गड़बड़ी की जाती है। इसके निम्नलिखित कारण हैं—

(i) झूठी प्रविष्टि करना,

(ii) किसी वास्तविक प्रविष्टि में हेराफेरी,

(iii) कृत्रिम / झूठे व्यय प्रदर्शित करना आदि।

4 / NEERAJ : अंकेक्षण के मूल तत्त्व

**झूठा प्रदर्शन (Window Dressing)**—इस प्रकार के व्यवहार में संस्था के स्वामियों के द्वारा के द्वारा छद्म प्रदर्शन का आश्रय लिया जाता है, जैसे—

- (i) दोबारा ऋण लेना।
- (ii) अंशधारकों को आकर्षित करना।
- (iii) अंशधारकों को विश्वास में लेना।

**गुप्त संचय (Secret Reserves)**—गुप्त रूप से धन का संचय करना, उस समय जब संस्था को लाभ न हो अथवा कम लाभ होने की दशा में इसका ज्ञान प्रायः अंशधारियों को नहीं होता। गुप्त संचय निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है—

- (i) कर भुगतान से बचाव करना।
- (ii) प्रतिद्वंद्वियों से अपनी वास्तविक स्थिति को छिपाना।
- (iii) बाजार में अंशों के भाव गिराने के लिए।

**लाभ (Advantages)**—

(1) अंकेक्षण त्रुटियों को ठीक करने तथा लेखा पुस्तकों में की जाने वाली हेराफेरी को पकड़ने तथा उन्हें ठीक करने में सहायक है तथा इससे इन त्रुटियों को पुनरावृत्ति की संभावना नहीं रहती।

(2) अंकेक्षण को व्यावसायिक क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इसके द्वारा लेखा पुस्तकों की समय-समय पर लेखा परीक्षा होती रहती है। लेखा-परीक्षा के द्वारा लेखा-पुस्तकों की समयानुकूल जांच होने के फलस्वरूप कर्मचारियों में अनुशासन की भावना का विकास होने के साथ-साथ प्रदत्त कार्य को निर्धारित समय पर संपन्न करने की चेतना जाग्रत होती है।

(3) अंकेक्षित खाते राजस्व अधिकारियों, यथा-आयकर, विक्रयकर द्वारा सुगमतापूर्वक मान्य होते हैं।

(4) अंकेक्षण के द्वारा किसी भी व्यवसाय के लाभ-हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठे (Balance Sheet) के माध्यम से उसकी छवि का वास्तविक तथा स्वच्छ चित्रण प्रस्तुत किया जा सकता है, जिससे एक संस्थान की आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है।

(5) वित्तीय संस्थान ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए अंकेक्षण किए गए लेखा-खातों की ओर विशेष ध्यान देते हैं।

(6) अंकेक्षण प्रक्रिया द्वारा परीक्षित लेखा-पुस्तकें विभिन्न बीमा कम्पनियों के द्वारा विवादों को सुलझाने में सहायता करती हैं।

(7) लाभांश तथा बोनस की स्वीकृति से पूर्व लेखा-परीक्षा की गई पुस्तकों का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है ताकि कर्मचारियों व अंशधारियों के मन में किसी प्रकार का संशय न रहे।

(8) अंकेक्षित खाते किसी भी व्यवसाय के लिए क्रय मूल्य सुनिश्चित करने में सहायक होते हैं।

(9) भ्रष्टाचार उन्मूलन में अंकेक्षण की भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है। अंकेक्षण न किए जाने की दशा में किसी भी व्यवसाय के कर्मचारी माल व धन का गबन करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। अंकेक्षण के माध्यम से व्यावसायिक भ्रष्टाचार को पर्याप्त रूप से नियंत्रित किया जा सकता है।

**अंकेक्षण के विभिन्न वर्ग**

**(Different Classes of Auditing)**

(1) **वैधानिक अंकेक्षण (Statutory Audit)**—किसी भी व्यवसाय की वैधानिक बैठक (Statutory Meeting) से पूर्व अंकेक्षक द्वारा जो लेखाकर्म किया जाता है, वह वैधानिक अंकेक्षण कहलाता है। यह इसलिए आवश्यक है ताकि संस्था की संरचना या उसका गठन संवैधानिक नियमानुसार हो सके। वैधानिक अंकेक्षण निम्नलिखित स्थितियों/ दशाओं में आवश्यक होता है—

- बैंकिंग कंपनियां।
- बीमा कंपनियां।
- सहकारी समितियां।
- सार्वजनिक तथा धर्मार्थ न्यास।
- स्थानीय अभिकरण तथा सरकारी उपक्रम।

वैधानिक अंकेक्षण का वास्तविक आशय उस अंकेक्षण से है, जो वैधानिक तौर पर अनिवार्य है। अतः समस्त अनिवार्य अंकेक्षण वैधानिक अंकेक्षण कहलाते हैं।

(2) **निजी संस्थाओं / फर्मों के खातों का अंकेक्षण**

**(Audit of Accounts of Private Firms)**—निजी फर्मों का अंकेक्षण वैधानिक तौर पर आवश्यक नहीं होता है। साझेदारी फर्म परस्पर सद्विश्वास तथा सद्भावना पर आधारित होती हैं। अंकेक्षण की सहायता से जांची गई लेखा-पुस्तकें साझेदारों के परस्पर विश्वास में वृद्धि करती हैं। अंकेक्षक को अंकेक्षण कार्य करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जैसे—साझेदारी संधि (Partnership Deed), साझेदारों की वहन क्षमता (Borrowing Power), साझेदारों का लाभांश अनुपात (Profit Sharing Ratio) आदि।

(अ) **नए साझेदारों के प्रवेश, अवकाश ग्रहण करने, तथा सुसुप्त साझेदारों को लाभ (Advantage to the Incoming, Retiring and Sleeping Partners)**—किसी साझेदारी संस्था में एक नए साझेदार का प्रवेश होता है, तो नए साझेदार को पूंजी तथा ख्याति का भुगतान करना पड़ता है। अंकेक्षित खाते दिखाकर उसे प्रेरित किया जाता है कि जिस व्यापार में वह प्रवेश करने जा रहा है, उस व्यापार की वास्तविक स्थिति है, कृत्रिम नहीं है। इसी प्रकार से सुसुप्त साझेदारों को रिपोर्ट के आधार यह इस बात का ज्ञान हो जाता है कि साझेदारी का व्यापार किस दशा में चल रहा है और अवकाश ग्रहण करने की स्थिति में साझेदार को उसके अंश का भुगतान की जाने वाली राशि का निर्धारण अंकेक्षित खातों के द्वारा संभव हो जाता है।

(ब) **साझेदारों में विश्वास (Confidence among Partners)**—किसी भी व्यवसाय के प्रायः सभी साझेदार सम्बन्धित व्यवसाय की अंकेक्षित लेखा-पुस्तकों में ही विश्वास रखते हैं, क्योंकि अंकेक्षित लेखा पुस्तकें उस संस्था के लाभ की वास्तविक छवि प्रदर्शित करती हैं, अतः लाभांश को लेकर परस्पर विवाद की संभावना नहीं रहती।